

न्यायालय आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी : डॉ० प्रदीप के. गावंडे
अपील संख्या : 08/2020

श्री साधुसिंह पुत्र श्री कृपालसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी
19 एफ, ज्वालेवाला, तहसील करनपुर, जिला श्रीगंगानगर
बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकारराज



— अपीलान्त

— रेस्पोंडेन्ट

उपस्थिति :

1. श्री विनोद कुमार — वकील अपीलान्त
2. पैरोकारराज

निर्णय

दिनांक :- 12-06-2024

यह अपील अपीलान्त श्री साधुसिंह पुत्र श्री कृपालसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 19 एफ, ज्वालेवाला, तहसील करनपुर, जिला श्रीगंगानगर के द्वारा आवंटन अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-01-1985 के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के तहत 23(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्त राजस्थान का सदभावी मूल निवासी है तथा अपीलान्त बतौर भूतपूर्व सैनिक भूमिहीन की पात्रता में आता है व काश्तकार श्रेणी का व्यक्ति है। अपीलान्त ने अपने भूमिहीन के प्रार्थना पत्र में तमाम सबूत मातहत अदालत में प्रस्तुत कर दिये थे। अपीलान्त भूमिहीन में आवंटन करवाने का सक्षम पात्र था। इस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर किये बिना जो आदेश पारित किया है, वह निरस्त योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलान्त को कोई नोटिस नहीं दिया ना ही नोटिस की विधिवत तामील करवाई। सारी कार्रवाई अपीलान्त के पीठ पीछे पारित की गयी जो प्राकृतिक न्याय के बिलकुल विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलान्त ने काफी खोजबीन व पूछताछ करके नकल प्रार्थना पत्र उपनिवेशन अभिलेखागार में दिनांक 09-03-2015 को पेश किया जो नकल प्रार्थना पत्र दिनांक 10-03-2015 को खारिज फरमा दिया गया कि उक्त पत्रावली वीडिंग कमेटी द्वारा वीडिंग की जा चुकी है। अतः नकल नहीं दी जा सकती। अपीलान्त की पत्रावली बिना किसी कारण से कानून से बाहर जाकर वीडिंग की है जो प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। अपीलान्त ने निवेदन किया है कि नई पत्रावली बनाई जाकर बतौर भूमिहीन भूतपूर्व सैनिक के तहत भूमि आवंटन करने का आदेश फरमावे।

अपीलान्त की ओर से अभिभाषक व राज्यपक्ष की ओर से पैरोकारराज उपस्थित हुए तथा अपील पर बहस की गई। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

बहस के दौरान अभिभाषक अपीलार्थी ने कहा कि अपीलान्त ने भूमि आवंटन हेतु दरखास्त लगाई थी जिसमें उसने तमाम सबूत भी दिये थे परन्तु अपीलान्त को बिना नोटिस व सूचना का मौका दिये एक तरफा तौर पर तथा उसके पीठ पीछे



आदेश पारित कर अपीलान्त का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है जो विधिसम्मत नहीं होने के कारण खारिज योग्य है। अपीलान्त की आवंटन पत्रावली पूरी पूरी तलफ कर दी गयी जबकि रेवेन्यू कोर्टस के मुताबिक मूल कागजात व निर्णय तलफ नहीं किये जा सकते। इन प्रावधानों को नजर अन्दाज करके अपीलान्त को उसके विधिक अधिकारों से महरूम करने की नियत से यह तमाम कार्रवाई की गई। अभिभाषक ने ज्यूडिशियल रिकॉर्ड को रखने की अवधि 12 वर्ष की है के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 16.06.1993 ध्यानसिंह बनाम सरकार की प्रति अपील के साथ पेश की है और निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर राजस्व मण्डल के निर्णय के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय को आदेश फरमावे।


इसी संबंध में पैरोकारराज की बहस सुनी गई। पैरोकारराज का कथन है कि अपीलान्त की मूल पत्रावली संख्या आर-8 निर्णय दिनांक 28-01-1985 की पत्रावली उपनिवेशन अभिलेखागार बीकानेर में आवंटन अधिकारी द्वारा जमा करवाई थी। आवंटन अधिकारी द्वारा उपनिवेशन अभिलेखागार में पत्रावलियां जमा करवाने से पहले आवंटन संबंधित सम्पूर्ण कार्रवाई कर जमा करवाई जाती है। आवंटन अधिकारी द्वारा पत्रावली को खारिज करने से पूर्व पूरी प्रक्रिया अपनाते हैं यथा नोटिस या पत्रावलियों की सूची सूचना पट्ट पर चस्पा करते हैं। विभागीय विडिंग कमेटी के द्वारा पैड संख्या 53 क्रम संख्या 29 के अनुसार निरसन (वीडिंग) कर दी गयी है। मूल पत्रावली के अभाव में अपीलान्त द्वारा कहे गये कथन की पुष्टि नहीं होती है ना ही अपीलान्त वकील ने इस बाबत अपीलमीमों के साथ सबूत पेश किये हैं। अतः अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। उभयपक्षों की बहस सुनी एवं मनन किया जिसके आधार पर विवेचन के तौर यह निष्कर्ष निकलता है कि मूल पत्रावली के अभाव में अपीलान्त द्वारा कहे गये कथन की पुष्टि नहीं होती है ना ही अपीलान्त वकील ने इस बाबत अपीलमीमों के साथ सबूत पेश किये हैं। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा आवेदन निरस्त किए जाने के 30 वर्ष पश्चात अपील पेश की गई है। आवंटन नियम 1975 के नियम 23(1) में अपील पेश करने की अवधि आदेश पारित किए जाने के 30 दिवस नियत है। प्रस्तुत अपील 30 वर्ष पश्चात प्रस्तुत होने से स्पष्ट मियाद बाहर है। इतनी लम्बी अवधि के बाद अपील प्रस्तुत किए जाने के कोई ठोस कारण भी धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किए गए हैं।

आवेदक स्वयं अपने अधिकारों के प्रति उदासीन रहा है। वर्ष 1985 में प्रस्तुत आवेदन पर की गई कार्यवाही की जानकारी 30 वर्ष पश्चात लेना ही आवेदक की उदासीनता को जाहिर करता है। अपीलांत की मूल पत्रावली दिनांक 20.12.2007 को विडिंग कमेटी द्वारा निरसन की गई है अतः अपीलांत अभिभाषक ने जो ज्यूडिशियल रिकॉर्ड रखने की जो रूलिंग पेश की है वह इस पर चस्पा नहीं होती।

परिणामस्वरूप उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12-06-2024 को सरे इजलास सुनाया गया।


(डॉ० प्रदीप के. गावंडे)
आयुक्त उपनिवेशन
बीकानेर